अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

न्यायालय, उपायुक्त, रॉची

लगान निर्धारण अपील वाद सं० 62 आर० 15/2021–22

05
17.01.2024

1. राम रतन गोप पिता स्व० देवनन्दन गोप
2. शिवं नारायण गोप, श्री पिता मोहन गोप,

निवास स्थान – ग्राम बजरा– बरियातु, थाना सुखदेवनगर, जिला रॉची
........अपीलकर्त्ता

बनाम

अखौरी इन्दू शेखर, पिता स्व० अखौरी अंजनी कुमार सिंह,
निवास स्थान–ओल्ड कमिश्नर कम्पाउण्ड, राँची, थाना– डेली मार्केट,
जिला–राँची, झारखण्ड ....उत्तरवादी

आदेश

प्रस्तुत अपील वाद अपीलकर्त्ता ने विद्वान उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, रॉची के द्वारा लगान निर्धारण वाद सं० 03/20–21/टी०आर०सं० 35/20–21 मे पारित आदेश दिनांक 03.03.2021 के विरूद्ध दायर किया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, रॉची के द्वारा मौजा बरियातु, थाना सं० 141, जिला रॉची के खाता सं० 71, प्लॉट सं० 303 रकबा 55 डिसमिल एवं प्लॉट सं० 352 रकबा 38 डिसमिल कुल रकबा 93 डिसमिल भूमि का लगान निर्धारण उत्तरवादी के पक्ष मे स्वीकृत किया गया है।

उपरोक्त लगान निर्धारण वाद सं० 03/20–21/टी०आर०सं० 35/20–21 की कार्यवाही विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, हेहल, राँची के पत्रांक–124 (ii), दिनांक–10.02.2021 के द्वारा अग्रसरित प्रतिवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया। अंचल अधिकारी हेहल, राँची के प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि लगान निर्धारण हेतु मौजा–बरियातु, थाना नं०–141, खाता नं०–71, प्लॉट नं०–303 एवं 352, क्रमश स्कड़ा 55 डी० एवं 38 डी०, कुल रकबा 93 डिसमिल भूमि

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

	से संबंधित है। खतियान में उक्त भूमि पुरन महतो वल्द शीनु महतो कौम अहीर, साकिन देह के नाम पर नौकराना दर्ज है, जिसका लगान पानेवाला लाल हरखनाथ शाहदेव दर्ज है। खतियान के अनुसार आवेदित भूमि का दर्जा दोन–I एवं दोन– II है। राजस्व मांग पंजी–ii में खाता नं०–71, प्लॉट नं०–303 एवं 352, कुल रकबा 93 डिसमिल का अंचल अधिकारी, शहर के आदेश दिनांक–28.12.2015 के आधार पर पेज नं०–94, भाग संख्या–VIII में नाम दर्ज है। न्यायालय भूमि सुधार सदर, राँची के विविध जमाबन्दी रद्द वाद संख्या–615 / 16–17 के आदेश के आलोक में पंजी–।। में कायम जमाबन्दी को विलोपित कर आवेदक के नाम पर वादग्रस्त भूमि का लगान निर्धारण प्रस्ताव हेतु निर्देश दिया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में ग्राम–बरियातु, थाना नं०–141 के पेज नं०–94, भाग संख्या–VIII में दर्ज नाम को विलोपित किया गया एवं अंचल अमीन के द्वारा नापी कराने पर खेसरा संख्या–352 के अंश भाग में ईंट का दिवाल पीसीसी लेबल तक किया हुआ पाया गया एवं खेसरा संख्या–303 के अंश भाग में धान की खेती होती है, तथा शेष भूमि परती है। स्थानीय पूछताछ में उक्त भूमि आवेदक का बताया गया। अंचल अमीन द्वारा नापी प्रतिवेदन तीन प्रति ट्रेस नक्शा के साथ समर्पित किया गया है। आवेदित भूमि गैरमजरूआ, भूईहरी, लीज, आदिवासी, भू–अर्जन, भूहदबन्दी, खासमहल एवं परिवाद से संबंधित नहीं है। उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार विद्वान उप समाहर्त्ता भूमि सुधार के द्वारा मौजा बरियातु, थाना सं० 141, जिला राँची के खाता सं० 71, प्लॉट सं० 303 रकबा 55 डिसमिल एवं प्लॉट सं० 352 रकबा 38 डिसमिल कुल रकबा 93 डिसमिल भूमि का लगान निर्धारण उत्तरवादी के पक्ष मे स्वीकृत किया गया है।	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

उत्तरवादी के उपस्थिति हेतु दैनिक अखबार हिन्दुस्तान के दिनांक 13.12.2023 के अंक मे नोटिस का प्रकाशन किया गया, परन्तु उनकी ओर से इस अपील वाद मे बहस करने हेतु कोई उपस्थित नही हुए। विगत तिथि को पुकार करने पर पुनः उत्तरवादी इस वाद मे उपस्थित नही हुए, अतः अपीलकर्त्ता को सुनने के पश्चात् यह अपील वाद उत्तरवादी के खिलाफ एकपक्षीय आदेश पारित करने हेतु निर्धारित किया गया।

अपीलकर्त्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार –

मौजा बरियातु, थाना नम्बर–141, थाना–सुखदेवनगर, जिला–राँची में अवस्थित खाता सं०–71, प्लॉट सं०–303 रकवा 55 डीसमील एवं प्लॉट सं०–352, रकवा 38 डीसमील कुल रकवा– 93 डिसमिल भूमि आवेदकगण की खतियानी जमीन है जो आर०एस० खतियान में पुरन महतो पिता शिबु अहीर के नाम से नौकराना दर्ज है, जिसे वास्तु कोटवारी श्रम के लिए दिया गया था। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् उक्त भूमि की जमाबन्दी खतियानी रैयत पुरन महतो के नाम पर कायम है और अपीलकर्त्ता के द्वारा उनके नाम से सन् 2020–21 तक लगान सरकार को अदा किया गया है। खतियानी पुरन महतो अपने जीवनकाल में जमींदार के यहाँ लगातार कोटवारी श्रम काम करते रहे और पुरन महतो के मृत्यु के बाद उनके पुत्र कमशः भुनेश्वर गोप वो देवनन्दन गोप वो रघु गोप वो मोहन गोप जमीन्दार के यहाँ कोटवारी कार्य करते रहे हैं। खतियान रैयत पुरन गोप अपने पीछे चार पुत्रों को छोड़कर स्वर्गवास किये जो क्रमशः 1. भुनेश्वर गोप 2. देवानन्द गोप 3. रघु गोप एवं 4. मोहन गोप को छोड़ गये। अखौरी अंजनी कुमार सिंह ने विविध वाद जमाबन्दी रद्द संख्या– 615/2016–17 में लखीन्द्र गोप और

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

विरेन्द्र गोप को विपक्षी बनाया था, जो पुरन गोप के वंशज नहीं है और ना ही बजरा, बरियातु, राँची के निवासी हैं। अखौरी अंजनी कुमार सिंह ने विविध वाद में गलत व्यक्ति को विपक्षी बनाकर एवं उन्हे न्यायालय में उपस्थित कराकर लगान निर्धारण वाद संख्या–122/ 2014–15 को विलोपित करने संबंधी आदेश प्राप्त किया है। अंचल कार्यालय हेहल, राँची ने भी वास्तविक रैयत के वंशज को लगान निर्धारण वाद संख्या 03/2020–21 में नोटिस का तामिला नहीं कराया गया। लगान निर्धारण वाद संख्या 03/2020–21 एवं विविध वाद संख्या– 615/2016–17 में मूल जमीन मालिक को नोटिस का तामिला नहीं कराया गया है। मनगढ़ंत (फेक) व्यक्ति के नाम पर नोटिस का तामिला कराया गया है। विवादित भूमि पुरन महतो के वंशज के अधिकार, दखल एवं कब्जे मे चला आ रहा है।

अपीलकर्त्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि अपीलकर्त्ता के पूर्वज के नाम से कायम प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी को भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के द्वारा वाद सं० 615/2016–17 मे पारित आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया है। अपीलकर्त्ता का यह भी दावा है कि अखौरी अंजनी कुमार सिंह ने विविध वाद में गलत व्यक्ति को विपक्षी बनाकर एवं उन्हे न्यायालय में उपस्थित कराकर लगान निर्धारण वाद संख्या–122 /2014–15 को विलोपित करने संबंधी आदेश प्राप्त किया है तथा उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है। विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों पर विचार किये बगैर ही लगान निर्धारण वाद सं० 03/20–21/टी०आर०सं० 35/20–21 मे पारित आदेश दिनांक 03.03. 2021 के द्वारा मौजा बरियातु, थाना सं० 141, जिला रॉची के खाता सं०

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

71, प्लॉट सं० 303 रकबा 55 डिसमिल एवं प्लॉट सं० 352 रकबा 38 डिसमिल कुल रकबा 93 डिसमिल भूमि का लगान निर्धारण उत्तरवादी के पक्ष मे स्वीकृत किया गया है।

अतः प्रस्तुत अपील स्वीकृत किया जाता है तथा विद्वान उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, रॉची के द्वारा लगान निर्धारण वाद सं० 03/20–21/टी०आर०सं० 35/20–21 मे पारित आदेश दिनांक 03.03.2021 को निरस्त करते हुए उपरोक्त वाद की कार्रवाई विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त वर्णित तथ्यों पर संबंधित सभी पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से आदेश पारित करे।

इस आदेश की प्रति उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉची

लेखपित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2024.02.05 22:32:11 -08:00
Location: 192.168.1.4